



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032023-244107
CG-DL-E-03032023-244107

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 985]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 2, 2023/फाल्गुन 11, 1944

No. 985]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 2023/PHALGUNA 11, 1944

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2023

का.आ. 1024(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है), अनुसूची VII में, क्रम संख्या 1 “नैनो नाइट्रोजन” और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

2. नैनो नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरक

क्र. सं.	मानदंड	विनिर्देश
1.	एक विमा में नैनो मीटर (एन एम) में कण का आकार	
	(क) कण का भौतिक आकार (टीईएम विश्लेषण के अनुसार)	10-70 एन एम*

(ख) कण का द्रव्यगतिक आकार (डीएलएस विश्लेषण के अनुसार)	<100 एन एम
(ग) *परीक्षित किए गए नमूने में कम से कम 50% कण बताए गए बायोटेक्नोलॉजी विभाग के मार्गदर्शक सिद्धांतों को पूरा करने वाली उपरोक्त रेंज में होना चाहिए।	

[फा. सं. 2-4/2022 उर्वरक विधि]

प्रिय रंजन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 758(अ), तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गयी थी और अधिसूचना संख्या 623(अ) तारीख 8 फरवरी, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गयी थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 2nd March, 2023

S.O. 1024(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), The Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely:-

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Third Amendment Order, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985 (hereinafter referred to as the said Order), in the Schedule VII, after serial number 1 “Nano Nitrogen” and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely,-

“2 Nano Nitrogen and Phosphorus fertilizer

S. No.	Parameters	Specifications
(i)	Particle Size in nano meter (nm) in one direction:	
	(a). Physical Particle Size (as per TEM analysis) (b). Hydrodynamic particle Size (as per DLS analysis) (number distribution)	10- 70 nm* <100 nm
	*At least 50 % per cent. of the particles in the tested samples should be in above range fulfilling the stipulated Department of Biotechnology guideline.	

[F. No. 2-4/2022 Fert Law]

PRIYA RANJAN, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (II), *vide* notification no G.S.R. 758(E), dated 25th September, 1985 and was last amended *vide* notification number S.O. 623(E), dated 8th February, 2023.

आदेश

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2023

का.आ. 1025(अ).—केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण आदेश, 1985 के खंड 20वां का अनुसरण करते हुए राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों के लिए, भारत में मेसर्स भारतीय कृषक